सीताराम बनाम रामवतार

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6-10-25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किये कि अपील अपीलांट स्थगन प्रार्थना पत्र में जारी आदेश दिनांक 8–11–2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जबकि इस स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में चल ही नही रहा है। मूल वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समाप्त किया जा चुका है। इस स्थिति में यह अपील चलने लायक नही है। अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किये कि मूल वाद समाप्त नही किया गया है बल्कि पूर्ववर्ती वाद के साथ अटेच किया गया है। इस सूरत में अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश में यह उल्लेखित है– *"दावा संख्या 43/2013 इस न्यायालय के समक्ष लंबित नही है इसलिए दावा संख्या 43/2013 के अस्तित्व में नही होने के कारण इसके साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा को रेस्टोर किया जाकर चालू रखना विधि सम्मत नही है।"* अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह स्पष्टतः उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा संख्या 43/13 विचाराधीन नही है। जब मूल वाद ही विचाराधीन नही हो तो उससे संबंध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र ओर उसकी अपील संधारणीय नही है। इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03–09–2025 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि प्रकरण संख्या 43/13 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती वाद के साथ नत्थी कर नम्बर से कम किया जा चुका है। इस आदेश दिनांक 03–09–2025 को अपीलांट द्वारा चुनौती दिये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–11–2024, प्रकरण संख्या 43/13 की आदेशिका दिनांक 25–05–2015 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन नही है। यह वाद नम्बर से कम किया जा चुका है। इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गया है। जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। मूल वाद के लंबित नही रहने की सूरत में इससे संबंधित अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की अपील भी मेटेनेबल नही होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर